



# सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 17 मई, 2001 ई०

बैशाख 27, 1923 शक संवत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 07/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001

देहरादून, 17 मई, 2001

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 17 मई, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 07 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

**उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001**

उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति; उत्तर प्रदेश वन निगम के कार्यक्षेत्र को सीमित करने तथा उत्तरांचल वन विकास निगम की स्थापना के संबंध में उत्तर प्रदेश वन निगम, 1974 का संशोधन करने के लिये

**अधिनियम**

भारत के गणराज्य के बावनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित करती है:

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम



उ0प्र0 अधिनियम 2-उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 संख्या 4 सन् 1975 सन् 1975) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में निम्नलिखित बढ़ाया की धारा 2 का जायेगा, अर्थात्:- संशोधन

(क) मूल अधिनियम की धारा 2 खंड (क) में "उत्तर प्रदेश वन निगम" के पश्चात् एवं "से है" से पूर्व "एवं धारा 3 (क) के अधीन स्थापित उत्तरांचल वन विकास निगम" जोड़ दिया जायेगा;

(ख) मूल अधिनियम की धारा 2 खंड (च) में "उत्तर प्रदेश सरकार" के पश्चात् एवं "से है" से पूर्व "या उत्तरांचल सरकार, जैसी भी स्थिति हो" जोड़ दिया जायेगा।

नई धारा 3-क का बढ़ाया जाना

3-मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् एक नई धारा 3-क निम्नवत् बढ़ा दी जायेगी:-

"3-क (1) उत्तरांचल राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे दिनांक से जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जायेगा, उत्तरांचल वन विकास निगम के नाम से एक निगम गठित करेगी।

(2) निगम शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य निकाय वाला एक निगमित निकाय होगा तथा वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसको इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा उसका निस्तारण करने की शक्ति होगी।

(3) निगम समस्त प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी होगा।

(4) निगम का मुख्यालय नरेन्द्रनगर में होगा तथा उसके कार्यालय ऐसे अन्य स्थानों पर भी हो सकते हैं जहां वह आवश्यक समझे।

(5) उत्तरांचल वन विकास निगम का कार्यक्षेत्र उत्तरांचल का सम्पूर्ण क्षेत्र होगा और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से, उत्तरांचल वन विकास निगम के कार्यक्षेत्र में, उत्तर प्रदेश वन निगम न ही कार्य करता रहेगा और न ही क्रियाशील बना रहेगा।

4-उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001 (अध्यादेश संख्या 01/2001) निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,  
(पी0 सी0 पन्त)  
सचिव।

No. 07/Vidhayee Evam Sansadiya Karya/2001  
Dated Dehradun, May 17, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Forest Corporation (Uttaranchal Amendment) Bill, 2001 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 07 of 2001).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on May 17, 2001.

#### THE UTTAR PRADESH FOREST CORPORATION (UTTARANCHAL AMENDMENT) ACT, 2001

To amend the Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974, in its application to Uttaranchal, to limit the area of operation of the Uttar Pradesh Forest Corporation and to establish the Uttaranchal Forest Development Corporation.

AN  
ACT

Uttaranchal Vidhan Sabha in the Fifty Second Year of Republic of India, enacts as follows:

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Forest Corporation (Uttaranchal Amendment) Act, 2001.



2. In section 2 of the Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974 (herein- Amendment of section 2 of U.P. Act No 4 of 1975 after called the Principal Act) following additions shall be made:--

(a) In clause (a) of section 2 of the Act, the words "and the Uttaranchal Forest Development Corporation established under section 3 A" shall be added after the words "under section 3";

(b) In clause (f) of section 2 of the Act, the words "or the Government of Uttaranchal, as the case may be" shall be added after the words "Government of Uttar Pradesh".

3. After section 3 of the Principal Act, the following new section 3 A shall be added, namely:-- Addition of new section 3 A

"3 A (1) The State Government of Uttaranchal shall, by notification in the gazette and with effect from the date to be specified therein, constitute a corporation by the name of Uttaranchal Forest Development Corporation.

(2) The Corporation shall be a body corporate having a perpetual succession and a common seal and may sue and be sued in its corporate name and shall have the power to acquire, hold and dispose off property for the purpose of this Act.

(3) The Corporation shall for all purposes be a local authority.

(4) The Uttaranchal Forest Development Corporation shall have its head office at Narendranagar and may have offices at such places as it may consider necessary.

(5) The area of operation of the Uttaranchal Forest Development Corporation shall be the entire territory of the state of Uttaranchal, in respect of which the Uttar Pradesh Forest Corporation will cease to function and operate with effect from the date the Uttaranchal Forest Development Corporation is notified in the gazette "

4. The Uttar Pradesh Forest Corporation (Uttaranchal Amendment) Ordinance, 2001 (Ordinance No. 1 of 2001) is hereby repealed.

By Order,

(P. C. PANT)  
Sachiv.